

न्यायालय :- पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड

(आप.प्रक.क्र. :- 969 / 2014)

(संस्थित दिनांक :- 03 / 11 / 14)

म.प्र.राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र - गोहद चौराहा

जिला-भिण्ड, म.प्र.

..... अभियोजन

// विरुद्ध //

01. अनिल तोमर पुत्र सुरेश सिंह तोमर उम्र 28 वर्ष

निवासी : ग्राम छरेंटा, थाना-एण्डोरी, तहसील-गोहद, जिला-भिण्ड।

..... अभियुक्त।

// निर्णय //

(आज दिनांक :- 03 / 06 / 2017 को घोषित)

01. आरोपी अनिल पर धारा :- 279, 337 एवं 338 भा.द.सं. के अन्तर्गत आरोप है कि उसने दिनांक : 28 / 08 / 2014 को सुबह लगभग 09:30 बजे भिण्ड-ग्वालियर हाईवे पर राय सिंह बाबा के खेत के सामने लोकमार्ग पर, अपने आधिपत्य के वाहन बुलेरो क्रमांक एम.पी. 07 / सी.बी. / 3157 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर फरियादी प्रदीप की मैक्स लोडिंग बुलेरो क्रमांक एम.पी.30 / एल.ए / 0495 में टक्कर मारकर फरियादी प्रदीप को उपहति एवं महेश को अस्थिभंग कारित कर घोर उपहति कारित की।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं हैं।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 28 / 08 / 2014 को सुबह लगभग 09:30 बजे भिण्ड-ग्वालियर हाईवे पर राय सिंह बाबा के खेत के सामने लोकमार्ग पर, वाहन बुलेरो क्रमांक एम.पी.07 / सी.बी. / 3157 के चालक द्वारा फरियादी प्रदीप की मैक्स लोडिंग बुलेरो क्रमांक एम.पी.30 / एल.ए / 0495 में टक्कर मारकर मारकर उसे एवं महेश को उपहति कारित करने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी प्रदीप द्वारा उसी दिनांक थाना गोहद चौराहा पर की जाने पर, थाना गोहद चौराहा में वाहन बुलेरो क्रमांक एम.पी.07 / सी.बी. / 3157 के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 205 / 2014 अन्तर्गत धारा 279 एवं 337 भा.द. सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। आहत महेश के एक्स-रे परीक्षण रिपोर्ट में अस्थिभंग होने का उल्लेखन होने से आरोपी के विरुद्ध धारा 338 भा.द.सं. का इजाफा किया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। दिनांक : 28 / 08 / 2014 को ही दोपहर 02:10 बजे घटनास्थल से वाहन बुलेरो क्रमांक एम.पी.

07/सी.बी./3157 को जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। दिनांक : 28/08/2014 को ही आरोपी अनिल को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया एवं दिनांक : 28/08/2014 को ही आरोपी अनिल द्वारा जब्तशुदा वाहन बुलेरो क्रमांक एम.पी.07/सी.बी./3157 के दस्तावेज की छायाप्रतियाँ प्रस्तुत करने पर जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। जब्तशुदा वाहन का यांत्रिक परीक्षण कराया गया। जब्तशुदा वाहन के पंजीकृत स्वामी सुरेश सिंह का प्रमाणीकरण लेखबद्ध किया गया। फरियादी प्रदीप, आहत महेश एवं साक्षी धर्मेन्द्र के कथन लेखबद्ध किए गये। तदोपरांत विवेचनापूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्त अनिल सिंह के विरुद्ध धारा 279, 337 एवं 338 भा.द.सं. के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं:-

01. क्या आरोपी अनिल ने दिनांक : 28/08/2014 को सुबह लगभग 09:30 बजे भिण्ड-ग्वालियर हाईवे पर राय सिंह बाबा के खेत के सामने लोकमार्ग पर, अपने आधिपत्य के वाहन बुलेरो क्रमांक एम.पी.07/सी.बी./3157 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया?

02. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर फरियादी प्रदीप की मैक्स लोडिंग बुलेरो क्रमांक एम.पी. 30/एल.ए/0495 में टक्कर मारकर फरियादी प्रदीप को उपहति एवं महेश को अस्थिभंग कारित कर घोर उपहति कारित की?

03. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष
विचारणीय प्रश्न क्रमांक :- 01 एवं 02

07. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 एवं 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. फरियादी प्रदीप अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना दिनांक : 28/08/2014 के सुबह 09:30 बजे की है। उक्त दिनांक को वह अपने साले महेश की भैंस लेकर ग्राम सर्वा से गोहद हाट के लिए जा रहा था। साक्षी आगे कहता है कि वह अपनी भैंस को मैक्स लोडिंग बुलेरो क्रमांक एम.पी.30/एल.ए./0495 से लेकर जा रहा था। बाबा के खेत के पास पुलिया निकलते ही सामने की तरफ से एक बुलेरो गाड़ी गोहद की तरफ से बड़ी तेजी व लापरवाही से आ रही थी, उक्त गाड़ी का नम्बर एम.पी.07/सी.बी./3157 था। उक्त गाड़ी ने तेजी एवं लापरवाही से आकर उसकी मैक्स गाड़ी में टक्कर मार दी, जिससे उसके सिर में, महेश के सिर में दाहिनी तरफ, बाये हाथ की उंगलियों में, कनपटी एवं शरीर में चोटे आई थी, जिसकी रिपोर्ट उसने पुलिस थाना गोहद चौराहा में की थी, जो प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा-मौका उसके सामने बनाया था, जो प्र.पी.02 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने इस संबंध में उससे पूछताछ की थी। साक्षी आगे कहता है कि वह दुर्घटनाकारित करने वाले व्यक्ति को जानत है, उसका नाम उसने अपने बयान में भी बताया था, वह अनिल तोमर निवासी :- छरेंठा का है, उक्त व्यक्ति ने ही उसकी मैक्स गाड़ी में टक्कर मारी थी।

09. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में फरियादी प्रदीप अ.सा.01 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि वह दुर्घटनाकारित करने वाले चालक को नहीं पहचानता। साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि उसने अपने पुलिस कथन में आरोपी अनिल का नाम नहीं लिखाया था। साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि उसकी गाड़ी भी तेजी एवं लापरवाही से चल रही थी। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में फरियादी प्रदीप अ.सा.01 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि एक्सीडेंट जान-बूझकर नहीं होते। तत्पश्चात् साक्षी द्वारा स्वतः कहा गया है कि अनिल ने गाड़ी को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर एक्सीडेंट किया था। तत्पश्चात् साक्षी ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि अनिल ने उसकी गाड़ी में जान-बूझकर टक्कर नहीं मारी थी। साक्षी को आरोपी अधिवक्ता द्वारा दिये गये उक्त सुझाव से यह प्रकट होता है कि आरोपी भी यह मानता है कि उसकी गाड़ी से फरियादीगण की गाड़ी को टक्कर लगी थी। साक्षी ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि उसकी आरोपी से पूर्व से रंजिश चल रही है, इसलिए वह न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है। इस प्रकार आरोपित अपराध के संबंध में फरियादी प्रदीप अ.सा.01 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति-परीक्षण उपरान्त भी पूर्णतः अखण्डित रहा है और फरियादी प्रदीप अ.सा.01 का उक्त न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 के तथ्यों से भी हो रही है।

10. आहत/साक्षी महेश अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना दिनांक : 28/08/2014 के सुबह लगभग 08-09 बजे की है। उक्त दिनांक को वह मैक्स लोडिंग बुलेरो से ग्राम सर्वा से भिण्ड की तरफ जा रहे थे। उसके साथ प्रदीप एवं महेश भी थे। मैक्स गाड़ी को प्रदीप चला रहा था, उक्त गाड़ी का क्रमांक एम.पी.30/एल.ए.

/0495 से लेकर जा रहा था। तभी राय सिंह बाबा के खेत के सामने अनिल अपनी गाड़ी को बड़ी तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और उसकी गाड़ी में टक्कर मार दी। अनिल की बुलेरो गाड़ी का नम्बर एम.पी.07/सी.बी./3157 था। साक्षी आगे कहता है कि टक्कर लगने से उसके दाहिनी तरफ सिर में, दाहिनी कनपटी में तथा शरीर में जगह-जगह चोटें आईं तथा उसके उल्टे हाथ की बीच वाली उंगली में चोट आई थी। साक्षी आगे कहता है कि वह अपनी मैक्स बुलेरो में भेंस लेकर जा रहे थे। पुलिस ने इस संबंध में उससे पूछताछ की थी।

11. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में साक्षी महेश अ.सा.02 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि वह गाड़ी के जाल के उपर बैठा था। साक्षी ने स्वतः कहा है कि वह गाड़ी के पीछे बैठा था। साक्षी प्रदीप अ.सा.01 का उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में भी यही कहना है कि महेश गाड़ी में पीछे बैठा था और वह एवं धर्मेन्द्र आगे बैठे थे। साक्षी ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसने आरोपी अनिल का नाम देखने वालों से सुना था। इस प्रकार आरोपित अपराध के संबंध में साक्षी महेश अ.सा.02 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति-परीक्षण उपरान्त भी पूर्णतः अखण्डित रहा है और फरियादी प्रदीप अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि साक्षी महेश अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के तथ्यों से भी हो रही है।

12. साक्षी धर्मेन्द्र सिंह अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना दिनांक : 28/08/2014 के सुबह लगभग नौ-सवा नौ बजे की है। उक्त दिनांक को वह, महेश एवं प्रदीप मैक्स लोडिंग बुलेरो से ग्राम सर्वा से भेंस लेकर गोहद आ रहे थे। मैक्स गाड़ी को प्रदीप चला रहा था, उक्त गाड़ी का क्रमांक एम.पी.30/एल.ए./0495 था। तभी राय सिंह बाबा के खेत के सामने एक बुलेरो चालक गाड़ी तेजी एवं लापरवाही से चलाकर लाया और उसकी गाड़ी में टक्कर मार दी। उक्त बुलेरो गाड़ी का नम्बर एम.पी.07/सी.बी./3157 था। पुलिस ने इस संबंध में उससे पूछताछ की थी। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में साक्षी धर्मेन्द्र अ.सा.03 ने यह दर्शित किया है कि वह आरोपी अनिल को पहचानता है और इस सुझाव से इन्कार किया है कि जब एक्सीडेंट हुआ था तब दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन को आरोपी अनिल नहीं चला रहा था। इस प्रकार आरोपित अपराध के संबंध में साक्षी धर्मेन्द्र अ.सा.03 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति-परीक्षण उपरान्त भी पूर्णतः अखण्डित रहा है और फरियादी प्रदीप अ.सा.01 एवं साक्षी महेश अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि साक्षी धर्मेन्द्र अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के तथ्यों से भी हो रही है।

13. अभियोजन साक्षी डॉ.साधना पाण्डेय अ.सा.06 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 28/08/2014 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ थी। उक्त दिनांक को सुबह साढ़े 10 बजे थाना गोहद चौराहा के आरक्षक अजीत सिकरवार नम्बर 445 द्वारा आहत महेश पुत्र जगदीश कुशवाह, उम्र 28 वर्ष, निवासी :- सर्वा को उसके समक्ष अचेत अवस्था में मेडीकल परीक्षण हेतु लाया गया था। साक्षी आगे कहता है कि आहत के पहचान चिन्ह बाये

गाल पर तिल का निशान था एवं **रोड़ एक्सीडेंट की घटना बताई गई थी**। आहत के परीक्षण करने पर सिर के पैराइटल भाग में छिलन की चोट थी, जो सिर के दाये तरफ थी। आहत के गाल पर तीन छोटे-छोटे छिलन के निशान थे, जो क्रमशः 02 गुणा 03, 02 गुणा 02 एवं 02 गुणा 01 आकार के थे। आहत के बाये हाथ की बीच की उंगली के आखिरी भाग में कृश इन्जरी थी। आहत को आगे के ईलाज हेतु जे.एच.रैफर किया गया था। साक्षी आगे कहती है कि उसके द्वारा आहत के परीक्षण में चोट क्रमांक 02 एवं 03 कृश इन्जरी द्वारा एवं चोट क्रमांक 01 इक्यूट सिर की चोट पाई गई थी, जो करीबन 06 घण्टे के अन्दर की पाया जाना प्रतीत हो रही थी। उसके द्वारा आहत को सिर के एक्स-रे एवं बाये हाथ के एक्स-रे परीक्षण की सलाह दी गई थी। उसकी मेडीकल परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.07 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहती है कि उसके द्वारा उक्त दिनांक को आरक्षक अजीत सिकरवार द्वारा आहत प्रदीप पुत्र राजाराम कुशवाह, उम्र 35 वर्ष, निवासी :- मनोहर का पुरा को करीबन 11:15 पर मेडीकल परीक्षण हेतु प्रस्तुत करने पर आहत के सिर में बीच में 02 गुणा 01 से.मी. की सूजन पाई थी एवं सिर के आक्सीपिटल एवं पैराइटल भाग पर भी सूजन पाई थी। उसके मतानुसार उक्त चोटें साधारण प्रकृति की होकर 0 से 06 घण्टे के अन्दर आना प्रतीत हो रही थी, इस वावत् उसकी मेडीकल परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.08 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी डॉ.साधना पाण्डेय अ.सा.06 के उक्त न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि उनके द्वारा तैयार की गई मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी.07 एवं प्र.पी.08 के तथ्यों से हो रही है।

14. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में डॉ.साधना पाण्डेय अ.सा.06 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि आहतगण यदि अपनी मोटर साईकिल से तेज गति से जा रहे हो और वह स्लिप हो जाये तो उक्त प्रकार की चोटें आ सकती हैं। साक्षी ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि उसकी मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी.06 एवं प्र.पी.07 में परीक्षण करने का समय अंकित नहीं है। उल्लेखनीय है कि डॉ.साधना पाण्डेय अ.सा.06 ने उसके मुख्य परीक्षण में आहतगण के चिकित्सीय परीक्षण करने का समय सुबह 10:30 बजे एवं 11:15 बजे का होना दर्शित किया है, उनके द्वारा दी गई मेडीकल परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.07 एवं प्र.पी.08 में भी उक्त समय अंकित है। इस प्रकार यह नहीं माना जा सकता कि उनके चिकित्सीय परीक्षण प्रतिवेदन प्र.पी.07 एवं प्र.पी.08 में परीक्षण का समय अंकित नहीं है। इस प्रकार आहत प्रदीप एवं महेश को दिनांक : 28/08/2014 को डॉ.साधना पाण्डेय अ.सा.06 के द्वारा उक्त आहतगण का परीक्षण सुबह 10:30 एवं 11:15 बजे किये जाने के 06 घण्टे के बीच उक्त आहतगण को उपहति कारित होने के संबंध में डॉ.साधना पाण्डेय अ.सा.06 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति-परीक्षण उपरांत भी पूर्णतः अखण्डित रहा है।

15. अभियोजन साक्षी डॉ.आलोक शर्मा अ.सा.04 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में

कहना है कि वह दिनांक : 07/10/2014 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को आहत महेश पुत्र जगदीश कुशवाह, निवासी :- सर्वा को थाना गोहद द्वारा लाये जाने पर उसके द्वारा एक्स-रे परीक्षण कर एक्स-रे रिपोर्ट तैयार की गई थी। साक्षी आगे कहता है कि आहत के सिर में बाईं तरफ फ्रन्टोटेम्पोरल भाग में अस्थिभंग पाया था, आहत के हाथ में कोई अस्थिभंग नहीं था। इस वावत् उसके द्वारा तैयार की गई एक्स-रे रिपोर्ट प्र.पी.03 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा एक्स-रे प्लेट आर्टिकल क्रमशः ए, बी एवं सी है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में डॉ.आलोक शर्मा अ.सा.04 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि यदि कृषि कार्य करते हुए कोई व्यक्ति कड़ी सतह पर गिर जाये तो उसे उक्त प्रकार की चोटें आना संभव है। इस प्रकार प्रति-परीक्षण उपरांत भी डॉ.आलोक शर्मा अ.सा.04 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य पूर्णतः अखण्डित रहा है और इस प्रकार उनके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि उनके द्वारा तैयार की गई एक्स-रे रिपोर्ट प्र.पी.03 एवं एक्स-रे प्लेट आर्टिकल ए, बी एवं सी के तथ्यों से हो रही है। डॉ.आलोक शर्मा अ.सा.04 के उक्त न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से यह प्रकट होता है कि आहत महेश को सिर में अस्थिभंग कारित हुआ था और उसकी उक्त चोट घोर उपहति की कोटि में आती है। डॉ.साधना पाण्डेय अ.सा.07 एवं डॉ.आलोक शर्मा अ.सा.04 के उक्त न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से आहतगण प्रदीप अ.सा.01 एवं आहत महेश अ.सा.02 के दिनांक : 28/08/2014 को उपहति एवं घोर उपहति कारित होने संबंधी न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की भी सारतः पुष्टि होती है।

16. अभियोजन साक्षी गोप सिंह अ.सा.07 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 28/08/2014 को पुलिस थाना गोहद चौराहा में प्रधान आरक्षक लेखक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को फरियादी प्रदीप कुशवाह पुत्र राजाराम कुशवाह द्वारा थाना गोहद चौराहा आकर वाहन क्रमांक एम.पी.07/सी.बी./3157 के चालक के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी। उसके द्वारा उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट फरियादी को पढ़कर सुनाई थी, जो उसके द्वारा सही होना स्वीकार कर फरियादी ने हस्ताक्षर किये थे, उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में गोप सिंह अ.सा.07 का कहना है कि एफआईआर प्र.पी.01 सुबह 10:00 बजे लेखबद्ध कराई गई थी। साक्षी ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि फरियादी प्रदीप ने उसकी गाड़ी का नम्बर एफआईआर प्र.पी.01 में लेखबद्ध नहीं कराया था, बल्कि उक्त नम्बर उसके द्वारा मन से लेखबद्ध किया गया है। उल्लेखनीय एफआईआर प्र.पी.01 में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध किये जाने का समय सुबह 10:00 बजे का अंकित है और उसमें फरियादी प्रदीप के वाहन का नम्बर भी अंकित है इस प्रकार फरियादी प्रदीप अ.सा.01 के बताये अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 लेखबद्ध किये जाने के संबंध में साक्षी गोप सिंह अ.सा.07 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति-परीक्षण उपरांत भी तात्त्विक रूप से अखण्डित रहा है,

जिसकी सारतः पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 के तथ्यों से हो रही है।

17. अभियोजन साक्षी सुरेश दत्त मिश्रा अ.सा.05 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 28/08/2014 को पुलिस थाना गोहद चौराहा में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे थाना गोहद चौराहा के अपराध क्रमांक 205/2014 अन्तर्गत धारा 279 एवं 337 भा.द.सं. की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। उक्त दिनांक को उसके द्वारा फरियादी प्रदीप की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शा-मौका बनाया था, जो प्र.पी.02 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही साक्षी धर्मेन्द्र एवं प्रदीप के बताये अनुसार कथन लेखबद्ध किये गये थे तथा दिनांक : 07/10/2014 को साक्षी महेश के कथन उसके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा दिनांक : 28/08/2014 को घटनास्थल से एक बुलेरो सफेद रंग की क्रमांक एम.पी.07/सी.बी./3157 था, समक्ष साक्षीगण जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.04 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही आरोपी अनिल से उक्त बुलेरो के समस्त कागजात आरोपी द्वारा पेश करने पर समक्ष साक्षीगण के जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.05 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही आरोपी अनिल सिंह तोमर को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.06 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में सुरेश दत्त मिश्रा अ.सा.05 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने साक्षीगण प्रदीप, महेश एवं धर्मेन्द्र के कथन अपने मन से लेखबद्ध किये हैं। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में उसने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने प्रकरण की सारी कार्यवाही थाने पर बैठकर की है। इस प्रकार प्रति-परीक्षण उपरांत भी विवेचक सुरेश दत्त मिश्रा अ.सा. 05 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य उसके द्वारा की गई प्रकरण की विवेचना के संबंध में पूर्णतः अखण्डित रहा है और उसके उक्त न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि उसके द्वारा बनाये गये नक्शा-मौका प्र.पी.02, जब्ती पंचनामा प्र.पी.04 एवं प्र.पी.05, गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.06 के तथ्यों से भी हो रही है। इस प्रकार सुरेश दत्त अ.सा.05 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से प्रकरण की विवेचना के दौरान उसके द्वारा साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये जाने, वाहन एवं उसके कागजात जब्त किये जाने एवं आरोपी को गिरफ्तार किये जाने के तथ्य की पुष्टि होती है।

18. अभियोजन साक्षी सुरेश सिंह अ.सा.08 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह बुलेरो वाहन क्रमांक एम.पी.07/सी.बी./7157 का पंजीकृत स्वामी है, उसकी गाड़ी को ड्रायवर चलाता है। साक्षी आगे कहता है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि उसकी गाड़ी को कौन सा ड्रायवर चलाता है। उसे यह भी

जानकारी नहीं है कि दिनांक : 28/08/2014 को उसकी गाड़ी को कौन चला रहा था। पुलिस ने उसका कोई प्रमाणीकरण नहीं लिया था। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही ऋणित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने प्रमाणीकरण प्र.पी.09 का ए से ए भाग का उक्त कथन पुलिस को ना देना व्यक्त किया, पुलिस ने कैसे लिख लिया वह कारण नहीं बता सकता। साक्षी ने प्रमाणीकरण प्र.पी.09 के दस्तावेज के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर होना व्यक्त किया। साक्षी सुरेश सिंह अ.सा.08 ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि उसने प्रमाणीकरण प्र.पी.09 देते समय पुलिस को यह लेख कराया था कि उसकी गाड़ी क्रमांक एम.पी.07/सी.बी./7157 को उसका लड़का अनिल सिंह तोमर पुत्र सुरेश सिंह तोमर निवासी :- छरेठा का चला रहा था। साक्षी आगे कहता है कि उसे यह जानकारी नहीं है कि उसकी गाड़ी पर कितने ड्रायवर रहे हैं और कौन-कौन गाड़ी को कब-कब चलाते रहे हैं। साक्षी ने अभियोजन अधिकारी के इन सुझाव को स्वीकार किया है कि उसका लड़का अनिल तोमर उसकी गाड़ी को कभी-कभार चलाता है। साक्षी ने अभियोजन अधिकारी के इन सुझावों को भी अस्वीकार किया है कि वह अपने लड़के को बचाने के लिए सही बात नहीं बता रहा है एवं आज न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में साक्षी सुरेश सिंह अ.सा.08 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को उसका लड़का अनिल गाड़ी को नहीं चला रहा था। इस प्रकार सुरेश सिंह अ.सा.08 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं हुये हैं जो आरोपित घटना में दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी अनिल की पहचान को दर्शित अथवा स्थापित करते हो।

19. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी अनिल ने दिनांक :- 28/08/2014 को सुबह लगभग 09:30 बजे भिण्ड-ग्वालियर हाईवे पर राय सिंह बाबा के खेत के सामने लोकमार्ग पर, अपने आधिपत्य के वाहन बुलेरो क्रमांक एम.पी.07/सी.बी./3157 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर फरियादी प्रदीप की मैक्स लोडिंग बुलेरो क्रमांक एम.पी.30/एल.ए/0495 में टक्कर मारकर फरियादी प्रदीप को उपहति एवं महेश को अस्थिभंग कारित कर घोर उपहति कारित की।

अंतिम निष्कर्ष

20. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन आरोपी अनिल के विरुद्ध धारा 279, 337 एवं 338 भा.द.सं. के आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। फलतः आरोपी अनिल को धारा 279, 337 एवं 338 भा.द.सं. के आरोपों से दोषसिद्ध किया जाता है।

21. आरोपी अनिल को परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ देने पर विचार किया गया। परन्तु आरोपी द्वारा किये गये, कृत्य से समाज में वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। इसलिए आरोपी को शिक्षाप्रद दण्ड दिया जाना आवश्यक है, इसलिए उसे परिवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता।

22. आरोपी के विद्वान अधिवक्ता श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपी के अधिवक्ता श्री श्रीवास्तव का कहना है कि आरोपी कम पढ़ा-लिखा, गरीब एवं ग्रामीण पृष्ठभूमि का व्यक्ति हैं। वह अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति हैं। यह आरोपी का प्रथम अपराध है, जो कि उसके द्वारा साशय नहीं किया गया। आरोपी विगत लगभग 03 वर्षों से विचारण का सामना कर रहा है। इसलिए उसे न्यूनतम दण्ड से दण्डित किया जाये। न्यायालय आरोपी अधिवक्ता के तर्कों से सहमत नहीं है। फलतः आरोपी को धारा 71 भा.द.सं. के प्रावधान के अन्तर्गत 279 भा.द.सं. के आरोप के लिए पृथक से दण्डित ना किया जाकर धारा 337 भा.द.सं. के आरोप के लिए 06 माह के सश्रम कारावास तथा 500/- रुपये के अर्थदण्ड एवं धारा 338 भा.द.सं. के आरोप के लिए 06 माह के सश्रम कारावास एवं 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। प्रत्येक अर्थदण्ड अदा न करने पर आरोपी को पृथक से 05-05 दिवस का सश्रम कारावास भुगताया जावे। आरोपी को दिये गये कारावास के दोनों दण्ड एक साथ भुगताये जायेंगे।

23. आरोपी द्वारा अन्वेषण या विचारण के दौरान अभिरक्षा में रह कर गुजारी गई, अवधि के संबध में धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे और उक्त अवधि उसकी मूल कारावास के दण्डादेश की अवधि में से कम की जावे।

24. आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया गया। आरोपी अनिल को अभिरक्षा में लेकर सजा वारंट बनाकर कारावास का दण्ड भुगतने के लिए उपजेल गोहद भेजा जाये।

25. प्रकरण में जब्तशुदा बुलेरो क्रमांक एम.पी.07/सी.बी./3157 मय दस्तावेज पूर्व से ही उसके पंजीकृत स्वामी सुरेश सिंह के पास सुपुर्दगी पर है, सुपुर्दगी नामा उन्मोचित किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद